# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 12/171/2017 | 06—10—2017 | 19—09—2019 |

01— हरि पुत्र चुन्ना,

02— मोहन पुत्र चुन्ना,

03— सोहन पुत्र चुन्ना, जातियान जाटव निवासीयान ग्राम सिवाना तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट

**बनाम**

01— उप तहसीलदार खैरथल तहसील किशनगढ़ बास जिला अलवर

—रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार खैरथल दिनांक 22.09.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 10/2017

**उपस्थितः—**

01—श्री निर्मल कुमार जैन —वकील अपीलाण्ट

**—ःनिर्णयः—**

अपीलान्ट ने यह अपील उप तहसीलदार खैरथल के आदेश दिनांक 22.09.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम सिवाना की सरकारी गै0मु0 राड़ा आराजी खसरा नम्बर 747 रकबा 5.06 है0 में 0.25 है0 बाजरा की फसल बोकर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम सिवाना की सरकारी गै0मु0 राड़ा आराजी खसरा नम्बर 747 रकबा 5.06 है0 में 0.25 है0 बाजरा की फसल बोकर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 18.08.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने दो—दो माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.10.2017 को कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट उप तहसीलदार खैरथल द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 25.04.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

**निर्णय आज दिनांक 19.09.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)